चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 04.03.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदय श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है ।

(2). आज दिनाँक 04.03.024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव को शान्तिपूर्ण और भयमुक्त सम्पन्न कराए जाने हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना मऊ श्री अजीत कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में एस0एस0बी फोर्स के जवानों ने थाना क्षेत्र के ग्राम चिबलहा,ग्राम बबुरी,ग्राम खप्टिहा एवं ग्राम नीवी के साथ इन ग्रामों अन्तर्गत मतदान केन्द्रो में एरिया डोमिनेशन किया गया साथ ही आम जनता को भरोसा दिलाया कि निर्भीक होकर मतदान करें। इस दौरान मुख्य सड़को में बने पुल पुलिया की भी सघन चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 04 अभियुक्तों के कब्जे से 109 क्वार्टर देशी शराब बरामद की ।

(क). चौकी प्रभारी सरैंया श्री यदुवीर सिंह तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त चुन्नू पुत्र नत्थू निवासी दुधवनियां थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को 18 क्वार्टर देशी शराब बरामद के साथ गिरफ्तार किया ।

(ख). उ0नि0 श्री सुरेश प्रताप सिंह थाना पहाड़ी तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त श्यामलाल कहार पुत्र भैरव प्रसाद निवासी परसौंजा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 40 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया ।

(ग). उ0नि0 श्री परशुराम यादव थाना पहाड़ी तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त रामलाल पुत्र कुटिया निवासी कलवारा खुर्द थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 30 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया ।

(घ). उ0नि0 श्री सुरेश प्रताप सिंह थाना पहाड़ी तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त रज्जन पुत्र रामकिशोर यादव निवासी बनवारी पुर मोड कर्वी थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 21 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन मे अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री श्याम प्रताप पटेल के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री विपिन कुमार मिश्रा तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त कमल सिंह कुशवाहा पुत्र गजराज सिंह निवासी मंटा थाना बबेरु जनपद बांदा 2. राजनारायण रैदास पुत्र राममूरत 3. राजकुमार रैदास पुत्र रिक्खी 4. गजेन्द्र सिंह पुत्र श्रीपाल सिंह निवासीगण सिकरी थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को ताश के पत्तों में हार-जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुये गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से मालफड़ 1030/- रुपये व 52 अदद ताश के पत्ते तथा जामातलाशी से 430/- रुपये बरामद किये गये। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना पहाड़ी में धारा 13 जुआ अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

<u>बरामदगीः-</u>

1. मालफड़ 1030/- रुपये व 52 अदद
2. जामातलाशी 430/- रुपये

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीमः-</u>

1. उ0नि0 श्री विपिन कुमार मिश्रा थाना पहाड़ी
2. आरक्षी विनोद कुमार
3. आरक्षी मृत्युन्जय
4. आरक्षी सचिन कुमार

(5). पुलिस अधीक्षक श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।

(क). उ0नि0 श्री परशुराम यादव थाना पहाड़ी तथा आरक्षी आनन्द प्रताप सिंह द्वारा मु0नं0 143/2027 धारा 60 आबकारी अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त वीर कुमार पुत्र कल्लू राम निवासी बछरन थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(ख). उ0नि0 श्री गौरव तिवारी थाना कोतवाली कर्वी तथा आरक्षी आरक्षी आकाश पटेल द्वारा मु0नं0 179/2022 धारा 138(1) विद्युत अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त बुआराम पुत्र रामसजीवन निवासी मरजादपुर कोलगदहिया थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम द्वारा आपसी परिवारिक झगडे को समाप्त कराकर 01 परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया।

आवेदिका श्रीमती जुबीना बानो पत्नी मो0 लतीफ निवासी तरौंहा थाना कतोवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा अपने पति मो0 लतीफ एवं ससुरालीजनों के विरुद्ध गाली-गलौज, मारपीट व घर से निकाल देने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के समक्ष प्रार्थना-पत्र दिया गया। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा प्रार्थना-पत्र के निस्तारण हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया। परिवार परामर्श केन्द्र प्रभारी उ0नि0 श्रीमती गुड्डी देवी, महिला आरक्षी शिवांगिनी श्रीवास्तव व महिला आरक्षी अनामिका सिंह द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में लड़ाई झगड़ा न करने तथा परिवारिक कर्तव्यों का पालन करने की बात कही गयी। आपसी सुलह होने पर दम्पत्ति जोड़े को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

<u>समझौता कराने वाली टीमः-</u>

1.प्रभारी परिवार परामर्श केंद्र उ0नि0 श्रीमती गुड्डी देवी
2.महिला आरक्षी अनामिका सिंह
3. महिला आरक्षी शिवांगिनी श्रीवास्तव

(7). प्रेस नोट-चित्रकूट पुलिस
आगामी लोकसभा चुनाव को शान्तिपूर्ण और भयमुक्त सम्पन्न कराए जाने हेतु CO राजापुर एवं थाना राजापुर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में एस0एस0बी फोर्स के जवानों के साथ एरिया डोमिनेशन किया गया

(8). आज दिनाँक 04.03.024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव को शान्तिपूर्ण और भयमुक्त सम्पन्न कराए जाने हेतु क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय एवं प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार के नेतृत्व में एस0एस0बी फोर्स के जवानों ने थाना क्षेत्र के ग्राम कनकोटा, रायपुर, कस्बा राजापुर, महुवा गांव, खटवारा, मलवारा, सगवारा के साथ इन ग्रामों अन्तर्गत मतदान केन्द्रो में एरिया डोमिनेशन किया साथ ही आम जनता को भरोसा दिलाया कि निर्भीक होकर मतदान करें।
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे #OperationConviction के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट जनपद चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी राजापुर श्री मनोज कुमार एवं पैरोकार आरक्षी आकाश कुमार व मॉनिटिरिंग सेल की संयुक्त गहन पैरवी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्री सनद कुमार मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर जनपद न्यायधीश/एफटीसी (न्यू) श्री सुशील कुमार वर्मा द्वारा थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 82/2022 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट के आरोपी अभियुक्त बब्बू उर्फ प्रेमनारायण पुत्र गुमानी प्रसाद निवासी धौराहा थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 01वर्ष का कठोर कारावास व 05 हजार रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
घटना का संक्षिप्त विवरणः-
दिनाँक 17.05.2022 को वादी तत्कालीन व0उ0नि0 श्री योगेश तिवारी थाना राजापुर तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त बबलू उर्फ प्रेमनारायण उपरोक्त को 1 किलो 500 ग्राम सूखा गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजापुर मु0अ0सं0 82/2022 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया था। विवेचक उ0नि0 श्री प्रभाकर उपाध्याय द्वारा विवेचना पूर्ण करने के बाद आरोपी के विरुद्ध माननीय न्यायालय में दिनांक 16.06.2022 को आरोप पत्र प्रेषित किया गया था।
(9). पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे #OperationConviction के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट जनपद चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी राजापुर श्री मनोज कुमार एवं पैरोकार आरक्षी आकाश कुमार व मॉनिटिरिंग सेल की संयुक्त गहन पैरवी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्री सनद कुमार मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर जनपद न्यायधीश/एफटीसी (न्यू) श्री सुशील कुमार वर्मा द्वारा थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 83/2022 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट के आरोपी अभियुक्त सतेंद्र सिंह पुत्र दिनेश निवासी चंदई थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 01वर्ष का कठोर कारावास व 05 हजार रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
घटना का संक्षिप्त विवरणः-
दिनाँक 17.05.2022 को वादी तत्कालीन व0उ0नि0 श्री योगेश तिवारी थाना राजापुर तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त सतेंद्र सिंह उपरोक्त को 1 किलो 500 ग्राम सूखा गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजापुर में मु0अ0सं0 83/2022 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया था। विवेचक उ0नि0 श्री प्रभाकर उपाध्याय द्वारा विवेचना पूर्ण करने के बाद आरोपी के विरुद्ध माननीय न्यायालय में दिनांक 16.06.2022 को आरोप पत्र प्रेषित किया गया था।
(10). पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे #OperationConviction के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट जनपद चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी राजापुर श्री मनोज कुमार एवं पैरोकार आरक्षी आकाश कुमार व मॉनिटिरिंग सेल की संयुक्त गहन पैरवी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्री सनद कुमार मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर जनपद न्यायधीश/एफटीसी (न्यू) श्री सुशील कुमार वर्मा द्वारा थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 84/2022 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट के आरोपी अभियुक्त छोटा पुत्र चौबा निवासी तीर धुमाई गंगू जनपद चित्रकूट को 01वर्ष का कठोर कारावास व 05 हजार रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनाँक 17.05.2022 को वादी तत्कालीन व0उ0नि0 श्री योगेश तिवारी थाना राजापुर तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त छोटा उपरोक्त को 1 किलो 500 ग्राम सूखा गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजापुर में मु0अ0सं0 84/2022 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया था। विवेचक उ0नि0 श्री प्रभाकर उपाध्याय द्वारा विवेचना पूर्ण करने के बाद आरोपी के विरुद्ध माननीय न्यायालय में दिनांक 16.06.2022 को आरोप पत्र प्रेषित किया गया था।